



राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राज0,जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/गुप-9/

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	श्री दुर्गा शंकर पुरोहित	08.04.1958	30.04.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कोटड़ी।
2	श्री भूरा लाल खाती	03.05.1958	31.05.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कोटड़ी।
3	श्री उदय लाल नाई	07.06.1958	30.06.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) चित्तौड़गढ़।
4	श्री ओम प्रकाश गर्ग	10.06.1958	30.06.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) चित्तौड़गढ़।
5	श्री गुलाब सिंह	01.07.1958	30.06.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) गंगापुर सिटी।
6	श्री जगदीश प्रसाद	14.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) सीकर।
7	श्री देव लाल मीणा	05.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कोटड़ी।
8	श्री मूलचन्द नागर	14.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) सागोद।
9	श्री जीवन कुमार भट्ट	14.09.1958	30.09.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) चित्तौड़गढ़।
10	श्री महावीर प्रसाद पारीक	18.12.1958	31.12.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) चित्तौड़गढ़।
11	श्री मदन लाल जाट	15.01.1959	31.01.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि0)

12	श्री मदन लाल वर्मा	21.01.1959	31.01.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि०) कोटडी।
----	--------------------	------------	------------	-----------------------------------

सेवानिवृत्त होने की दिनांक तक यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जांच प्रकरण लम्बित हो जाता है या कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन हो जाती है तो उसकी सूचना तुरन्त आयुक्तालय को प्रेषित कर जारी किया गया जांच प्रमाण- पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करावे।

उक्त आदेश श्रीमान आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।



(सोमेन्द्र शर्मा)


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9/28-56

दिनांक 9-4-18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) भीलवाडा/भरतपुर/सीकर/कोटा।
- 2 उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, भीलवाडा/सवाईमाधोपुर/चित्तौड़गढ़/सीकर।
- 3 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कोटडी/चित्तौड़गढ़/गंगापुरसिटी/सीकर/सांगोद/
- 4 एनालिस्ट कम प्रोगामर मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।
- 5 संबंधित कार्मिक.....।
- 6 निजी पंजिका।



(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)